न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 151—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—10—2001 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 27/1994—95/निगरानी

....

रामानन्द पुत्र श्री गेंदालाल
निवासी—गढ़ा, तहसील अटेर, जिला—भिण्ड

.... आवेदक

विरूद्ध

हरनारायण पुत्र श्री रामलखन
निवासी—गढ़ा, तहसील अटेर, जिला—भिण्ड

.......................अनावेदक

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अना. एक पक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/1994—95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30—10—2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील अटेर के ग्राम गढ़ा में पटेल के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक के पिता गेंदालाल द्वारा एक आवेदन—पत्र कलेक्टर, जिला—भिण्ड को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर, भिण्ड ने आवेदन—पत्र तहसील न्यायालया में इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि क्या ग्राम का पटेल पद रिक्त है? क्या ग्राम पंचायत पटेली कार्य हेतु शासन द्वारा धारा 229 के अधीन नियुक्त है? यदि है तो क्या पटेल पद पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य किया गया है? यदि ग्राम पंचायत पटेली कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो क्या पटेली

कार्य पंचायत से वापिस लेने हेतु शासन आदेश प्राप्त किये गये है? यदि नही तो संबंधित ग्राम पंचायत से प्रस्तावत प्राप्त करके उक्त कार्य वापिस लेने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही की जावे? उपरोक्त बातों के समाधान किये जाने के उपरांत ही 45 दिवसीय उद्घोषणा जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाये तथा प्रतिवेदन 3 माह के अंदर प्रेषित किया जावे। प्रकरण विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा विज्ञप्ति जारी की गई । प्रकरण में तीन आवेदन अनावेदक का तथा आवेदक के पिता गेंदालाल का ओर मेघनाथ का । प्रकरण में प्रचलन रहने की अवधि में मेघनाथ अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा एकपक्षीय का आदेश दिनांक 13.3.89 को पारित किया गया । शेष दो उम्मीदवारों के सम्बन्ध में समान योग्यतायें पाये जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.91 को ग्राम में अभिलिखित भूमिस्वामियों की सूची पटवारी मौजा को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष पेश की गई । कलेक्टर, भिण्ड द्वारा दिनांक 21.11.94 को विचाराधीन आदेश पारित कर निगरानी का आवेदन स्वीकार किया गया तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त तुलनात्मक स्थिति पर व अन्य तथ्य दृष्टिगत होने पर वास्तविकता का प्रतिवेदन पटेल नियुक्त हेतु वरिष्ठ को भेजें । अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित विचाराधीन 21.11.94 से दुखी होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 27/1994–95/निगरानी पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 30.10.2001 को प्रकरण समाप्त कर विचारण न्यायालय की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पटेल पद पर नियुक्ति किये जाने बावत् विधिवत उद्घोषणा जारी करते हुये आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जावे तथा आवेदन–पत्र इच्छुक व्यक्तियों के प्राप्त होने पर संहिता की धारा 229 में निर्मित नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच जैसे चरित्र प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र बकाया न होने का प्रमाण–पत्र तथा भूमिस्वामी अथवा खातेदार होने का प्रमाण पत्र मंगाये जाकर उनका भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत योग्य व्यक्ति को पटेल पद पर नियुक्त किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त ने कलेक्टर, भिण्ड के आदेश को निरस्त करने वैधानिक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त के विचाराधीन आदेश के पद क्रमांक 5 में जिस आधार पर अनावेदक के निगरानी को स्वीकार किया है वह न तो वैधानिक है और न ही न्यायोचित है । आदेश मात्र अनुमानों के आधार पर आधारित है । उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने न तो विवादित प्रश्नों का कोई निराकरण किया ओर ना ही विवादित आदेश में कलेक्टर, भिण्ड क्यों कर त्रुटिपूर्ण है का कोई उल्लेख किया है । आवेदक एवं अनावेदक के मध्य तुलनात्मक योग्यता पर विचार कर आवेदक को अधिक योग्य माना है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरीन स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका का अवलोकन करने यह स्पष्ट है कि पटेल नियुक्त किये जाने बावत प्रकरण वर्ष 1974 में प्रचलित हुआ और अभी तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका । पटेल का पद कोई सम्पत्ति नहीं है, जिसके निराकरण किये जाने में वैधानिक कठिनाई हो। ग्राम में रिक्त हुये पटेल पद की पूर्ति की जाना है । प्रकरण मात्र इस बिन्दु पर निगरानी में आया कि विचारण न्यायालय द्वारा पातिर आदेश दिनांक 11.06.91 द्वारा ग्राम के अभिलिखित भूमिस्वामियों की सूची विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी से मांगी गई थी । वर्ष 1991 में यह आदेश हुआ, जिसकी निगरानी आवेदक रामानन्द द्वारा की गई । इसके पश्चात अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी की गई । ठीक 25 वर्ष हो चुके है और अभी तक निगरानी का निराकरण नहीं हुआ है । इस प्रकार से तो यह प्रकरण कई वर्षों तक चलता रहेगा और इस प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक की उम्र भी अधिक हो चुकी होगी।

6/ विचरण न्यायालय के आदेश पत्रिका का अध्ययन किया । अनावेदक हरनारायण द्वारा वर्ष 1974–75 में पटेल पद बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस समय उसकी उम्र

35 वर्ष लिखी हुई थी। इसी प्रकार आवेदक रामानन्द की उम्र 21 वर्ष लिखी थी । दोनों उम्मीदवारों की आज उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक हो सकती है । इतने वर्षों बाद परिस्थितियां क्या रही है, उम्मीदववारों की हालत कैसी हो, चाल–चलन में भी अन्तर आ सकता है । वर्तमान में भी माली हालत कैसी है, आदि इन तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया है । मेरे विचार से अब इस प्रकरण को और आगे चलाना आवश्यक नहीं। इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त किया जाता है । अपर आयुक्त ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर